

152

संख्या । ३३०३-आई सी/८६

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
कार्यान्वयन इकाई

नई दिल्ली, ११ मई, १९९०

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों-पशु चिकित्सकों को प्रोक्टिस बंदी भत्ते की मंजूरी ।

सूचे उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक २९ सितम्बर, १९८८ के इसी संख्या के का०ज्ञा० का हवाला देने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि पशु चिकित्सकों को भिन्न जाने वाले प्रोक्टिस बंदी भत्ते की दरों में और आगे संशोधन करने का प्रश्न कुछ समय से सरकार के विचारार्थीन रहा है । राष्ट्रपति ने अब यह निर्णय लिया है कि इस मंत्रालय के दिनांक २९-९-८८ के का०ज्ञा० के पैरा २ में यथा निर्दिष्ट प्रोक्टिस बंदी भत्ते की दरें नीचे दर्शाए अनुसार होंगी :-

प्रोक्टिस-बंदी भत्ता

पुनरीक्षित केन्मान में वेतन	रेज	प्रोक्टिस बंदी भत्ते की दर
		प्रति माह
३०००रु से नीचे		६००रु
३०००रु और उससे ऊपर		८००रु

२. इस मंत्रालय के दिनांक २९-९-८८ के का०ज्ञा० में निहित अन्य सभी बातें अपारिवर्तनीय रहेंगी ।

३. यह आदेश जारी होने की तारीख से लागू होंगे ।

डि. यू. सुखसेना
डी०बी०सुखसेना

निदेशक

सेवा में,

सहायक सचिव/व्यय विभाग इत्यादि ।
मानक प्रि.रण सूची के अनुसार